



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 20 सितम्बर, 1982

भाद्रपद 29, 1904 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या 2774/सत्रह-वि०-1-1(क)-7-82

लखनऊ, 20 सितम्बर, 1982

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (निरसन) विधेयक, 1982 पर दिनांक 9 सितम्बर, 1982 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1982 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (निरसन) अधिनियम, 1982

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1982]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण अधिनियम, 1970 को निरस्त करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तैंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण (निरसन) अधिनियम, 1982 संक्षिप्त नाम कहा जायगा।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या
5 सन् 1971 का
निरस्तन

2--इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक को और से, उत्तर प्रदेश राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण अधिनियम, 1970 निरसित हो जायगा।

आज्ञा से,
गंगा बरुण सिंह,
सचिव।

No. 2774(2)/XVII-V-1-1(Ka)-7-82
Dated Lucknow, September 20, 1982

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rashtra Virodhi Tatwa Niwaran (Nirasan) Adhinyam, 1982 (Uttar Pradesh Adhinyam Sankhya 24 of 1982) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 9, 1982.

**THE UTTAR PRADESH RASHTRA VIRODHI TATWA NIWARAN
(NIRSAN) ACT, 1982**

[U. P. ACT NO. 24 OF 1982]
(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

to repeal the Uttar Pradesh Rashtra Virodhi Tatwa Niwaran Adhinyam, 1970.

It is ~~HEREBY~~ enacted in the Thirty-third Year of the Republic of India as follows:

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Rashtra Virodhi Tatwa Niwaran (Nirsan) Adhinyam, 1982.

Repeal of U. P.
Act no. 5 of 1971

2. On and from the commencement of this Act, the Uttar Pradesh Rashtra Virodhi Tatwa Niwaran Adhinyam, 1970, shall stand repealed.

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.